मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः27.04.2025

थाना अहरौरा पुलिस टीम द्वारा अनुमानित कीमत ₹ 15 लाख के अवैध गांजा व तस्करी में प्रयुक्त वाहन (होण्डा सिटी कार) के साथ 02 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार —

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "सोमेन बर्मा" द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ , अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की निर्माण/तस्करी व बिक्री पर अंकुश लगाते हुए संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरूद्ध लगातार अभियान चलाकर की जा रही कार्यवाही में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी आपरेशन के नेतृत्व में थाना अहरौरा पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांकः 27.04.2025 को मुखबीर के सूचना के आधार थाना अहरौरा पुलिस टीम द्वारा सघन वाहन चेकिंग कर होण्डा सिटी कार वाहन संख्याः UP 80 BN 9988 में सवार 02 व्यक्तियों को पकड़ा गया। पकड़े गये अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में अपना नाम-पता 1.वीरेन्द्र शुक्ला पुत्र स्व0 रामानन्द शुक्ला निवासी ग्राम खनिकला जहानपुर थाना पाली जनपद हरदोई व 2. विनय शुक्ला पुत्र स्व0 प्राणनाथ शुक्ला दिलेरगंज थाना शाहाबाद जनपद हरदोई बताया गया है। पुलिस टीम द्वारा उक्त होण्डा सिटी वाहन की तलाशी ली गयी तो कार में छिपाकर रखा हुआ कुल 51 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर मु0अ0सं0-88/2025 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है तथा गांजा तस्करी में प्रयुक्त होण्डा सिटी को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

विवरण पूछताछ —

पकड़े गये अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वे उड़ीसा से होण्डा सिटी वाहन में छिपाकर गांजा लादकर गाजियाबाद ले जा रहे थे। जहां से मांग के अनुसार सप्लाई करते हैं। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि प्रत्येक चक्कर सप्लाई का हमें 03 लाख रूपये प्राप्त होते है। प्राप्त पैसे को आपस में बांटकर भौतिक सुख-सुविधाओं का लाभ लेते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1. वीरेन्द्र शुक्ला पुत्र स्व0 रामानन्द शुक्ला निवासी ग्राम खनिकला जहानपुर थाना पाली जनपद हरदोई।
2. विनय शुक्ला पुत्र स्व0 प्राणनाथ शुक्ला दिलेरगंज थाना शाहाबाद जनपद हरदोई।

बरामदगी विवरण —

51 किलो ग्राम अवैध गांजा (अनुमानित कीमत ₹ 15 लाख)

गांजा परिवहन में प्रयुक्त होण्डा सिटी वाहन संख्याः UP 80 BN 9988

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0स0-88/2025 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर।

आपराधिक इतिहास –(वीरेन्द्र शुक्ला)-

मु0अ0स0-343/2005 धारा 3/25 आयुध अधि. थाना पाली जनपद हरदोई।
मु0अ0स0-354/2007 धारा 307 भादवि थाना पाली जनपद हरदोई।
मु0अ0स0-355/2007 धारा 3/25 आयुध अधि. थाना पाली जनपद हरदोई।
मु0अ0स0-676/2008 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना पाली जनपद हरदोई।
मु0अ0स0-308/2009 धारा 420,506 भादवि थाना पाली जनपद हरदोई।
मु0अ0स0-52/2012 धारा 110(जी) सीआरपीसी थाना पाली जनपद हरदोई।
मु0अ0स0-294/2012 धारा 3/25 आयुध अधि. थाना पाली जनपद हरदोई।
मु0अ0स0-381/2005 धारा 110(जी) सीआरपीसी थाना पाली जनपद हरदोई।
मु0अ0स0-1022/2013 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कांट जनपद शाहजहांपुर।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय —

थाना अहरौरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम बेलखरा मोड़ हाईवे के पास से, दिनांकः 27.04.2025 को समय रात्रि 01.50 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सेठ थाना अहरौरा मय पुलिस टीम जनपद मीरजापुर।